

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राज्य सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम-1976 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 10(4)गुप-2/एफ.डी./76 दिनांक: 13.10.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक: 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ. 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक: 25.04.12 के अन्तर्गत श्री घीसूलाल सुथार पुत्र श्री लच्छाराम सुथार, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवगंज (सिरोही) को इनके आवेदन की दिनांक: 18.03.2017 से उनके मूल वेतन का (6%) छः प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/- (अखरे रूपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/विकलांग भत्ता/2018

दिनांक: 11-11-18

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
2. सम्बन्धित जिला अधिकारी (माध्यमिक)
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राउमावि, शिवगंज (सिरोही) को सम्बन्धित कार्मिक का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है ।
4. सम्बन्धित कार्मिक श्री घीसूलाल सुथार ।
5. निजी एवं रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर